

मुग़ल साम्राज्य के काल में प्रशासन

शमशेर सिंह, चरखी दादरी,

सारांश

मुग़ल सैन्य प्रशासन शक्ति पर आधारित एक केंद्रीकृत व्यवस्था थी। मुग़लों ने एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की जिस पर खलीफा जैसी किसी विदेशी सत्ता का कोई अंकुश नहीं था। मुग़ल काल की मुख्य विशेषताओं में अकबर ज़रिये बनाया गयी मंत्रियों की व्यवस्था थी। मंत्रियों की संख्या चार होती थी, उनके नाम वकील, दीवान या वज़ीर, मीर बख़्शी और सदर-उस-सदर थे। बाद में वज़ीर-ए-मुतलक के पद की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए वज़ीर और वकील के पद को उसमें विलीन कर दिया गया था।

परिचय

1526–1857 ई. तक मुग़ल साम्राज्य का विस्तार हुआ जिसके प्रमुख शासक इस प्रकार थे :

- बाबर • हुमायूँ • अकबर • जहाँगीर • शाहजहाँ • औरंगज़ेब • बहादुर शाह प्रथम
- जहाँदारशाह • फ़र्रुख़सियर • रफ़ीउद्दाराजात • रफ़ीउद्दौला • नेकसियर • मुहम्मद इब्राहीम
- मुहम्मदशाह रौशन अख़्तर • बादशाह अहमदशाह • आलमगीर द्वितीय
- शाहआलम द्वितीय • अकबर द्वितीय • बहादुर शाह ज़फ़र

मुग़लकालीन शासन व्यवस्था के बारे में कुछ महत्त्वपूर्ण कृतियों से जानकारी मिलती है। ये कृतियाँ हैं –

'आईना-ए-अकबरी', 'दस्तूर-उल-अमल', 'अकबरनामा', 'इक़बालनामा', 'तबकाते अकबरी', 'पादशाहनामा', 'बहादुरशाहनामा', 'तुजुक-ए-जहाँगीरी', 'मुन्तख़ब-उत-तवारीख़' आदि। इसके अतिरिक्त कुछ विदेशी पर्यटक जैसे 'टामस रो', 'हॉकिन्स', 'फ़्रेंसिस बर्नियर', 'डाउंटन' एवं 'टैरी' से भी 'मुग़लकालीन शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। इन विदेशी पर्यटकों और ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर मुग़लकालीन सैन्य व्यवस्था की भी जानकारी हमें प्राप्त होती है।

प्रान्तीय प्रशासन

अकबर के शासन काल में सर्वप्रथम प्रान्तीय प्रशासन हेतु नया आधार प्रस्तुत किया गया। सर्वप्रथम 1580 ई. में अकबर ने अपने साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित किया। बाद में सूबों की संख्या 15 हो गई, जिसमें इलाहाबाद, आगरा, अवध, अजमेर, बंगाल, बिहार, अहमदाबाद, दिल्ली, मुल्तान, लाहौर, काबुल, मालवा, ख़ानदेश एवं अहमदनगर शामिल थे। जहाँगीर ने कांगड़ा को जीत कर लाहौर में मिलाया, शाहजहाँ ने कश्मीर, थट्टा एवं उड़ीसा को जीत कर सूबों की संख्या 18 की। औरंगज़ेब ने शाहजहाँ के 18 सूबों में गोलकुण्डा एवं बीजापुर को जोड़कर 20 कर ली।

1707 ई. में औरंगज़ेब की मृत्यु के समय मुग़ल साम्राज्य में कुल 21 प्रान्त थे। इनमें से 14 उत्तरी भारत में, 6 दक्षिणी भारत में और एक प्रान्त भारत के बाहर अफ़ग़ानिस्तान था। इन प्रान्तों के नाम हैं- आगरा, अजमेर, इलाहाबाद, अवध, बंगाल, बिहार, दिल्ली, गुजरात, कश्मीर, लाहौर, मालवा, मुल्तान, उड़ीसा, थट्टा, काबुल (अफ़ग़ानिस्तान), औरंगाबाद महाराष्ट्र, बरार, बीदर, बीजापुर, हैदराबाद (गोलकुण्डा) और ख़ानदेश।

प्रशासन की दृष्टि से मुग़ल साम्राज्य का विभाजन सूबों में, सूबे 'सरकार में', सरकार परगना या महाल में बंटे थे, परगने से ज़िले या दस्तूर बने थे, जिसके अन्तर्गत ग्राम होते थे, जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। गाँवों को 'मवदा' या

‘दीह’ भी कहते थे। मवदा के अन्तर्गत स्थित छोटी-छोटी बस्तियों को ‘नागला’ कहा जाता था। शाहजहाँ ने अपने शासन काल में सरकार एवं परगना के मध्य ‘चकला’ नाम की एक नई ईकाई की स्थापना की थी।

प्रांतीय प्रशासन के कुछ मुख्य अंश :

- मुगल साम्राज्य को सूबों (प्रान्तों) में सूबों को सरकारों (जिलो) में, सरकारों को परगनों (महलों) में तथा परगनों को गावों में बाटा गया था।
- अकबर के समय सूबेदार होता था, जिसे सिपहसालार या नाजिम भी का कहा जाता था।
- दीवान सूबे प्रधान वित्त एवं राजस्व अधिकारी होता था।
- बख्शी का मुख्य कार्य सूबे की सेना की देखभाल करना था।
- प्रांतीय रुद्र न्याय के साथ-साथ प्रजा की नैतिक चरित्र एवं इस्लाम धर्म के कानूनों की पालन की व्यवस्था करता था।
- कोतवाल सूबे की राजधानी तथा बड़े-बड़े नगरों में कानून एवं व्यवस्था की देखभाल करता था।

मुगलों के अलग अलग शासन काल में सूबों की संख्या

शासक का नाम	सूबों की संख्या	नए जुड़े सूबे
अकबर	12 सूबे (12 + 3= 15) (आइना-ए-अकबरी में वर्णित)	3 (बरार, खानदेश, अहमदनगर)
जहाँगीर	15 सूबे (कांगड़ा जीतकर लाहौर में मिलाया)	-
शाहजहाँ	18 सूबे	3 (कश्मीर, थट्टा और उड़ीसा)
औरंगज़ेब	20 अथवा 21 सूबे	2 (बीजापुर-1686; गोलकुण्डा-1687)

मुगलकालीन सैन्य प्रशासन के कुछ प्रमुख पदाधिकारी

मुशरिफ	राजस्व सचिव
मीर-ए-बर्	वन अधीक्षक
मीर बहरी	जल सेना का प्रधान
वाकिया नवीस	सूचना अधिकारी
सवानिह निगार	समाचार लेखक
खुफ़िया नवीस	गुप्त पत्र लेखक
हरकारा	जासूस और संदेश वाहक
मुस्तौफ़ी	महालेखाकार

मीर-ए-अर्ज	याचिका प्रभारी
मीर-ए-माल	राज्यभत्ता अधिकारी
मीर-ए-तोजक	धर्मानुष्ठान अधिकारी

मुगल काल में सैन्य प्रशासन की शक्तियां

मुगल सम्राट सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति तथा सर्वोच्च नयायाधीश था। वास्तव में साम्राज्य की सारी शक्तियाँ सम्राट में निहित होती थीं।

केंद्रीय प्रशासन के चार प्रमुख स्तंभों – वजीर, मीर बख्शी, खान-ए-सामा और रुद्र-उस-सुदूर थे।

वजीर राजस्वविभाग तथा बादशाह का प्रधानमंत्री होता था। सम्राट की अनुपस्थिति में वह शासन के साधारण कार्यों को बादशाह की ओर से देखता था।

मीर बख्शी - यह सैन्य प्रशासन की देखभाल, मनसबदारों का प्रधान, सैनिकों की भर्ती, हथियारों तथा अनुशासन का प्रभारी होता था।

खान-ए-सामा - राजमहल तथा कारखानों के अधिकारी होता था।

रुद्र-उस-सुदूर - यह धार्मिक मामलों का अधिकारी था। दान विभाग भी उसी के अंतर्गत था। रुद्र-उस-सुदूर को 'शेख-उस-इस्लाम' कहा जाता था।

केंद्रीय प्रशासन के अन्य अधिकारी

काजी-उल-कुजात - न्यायिक मामलों का अधिकारी था।

मीर आतिश - यह शाही तोपखाने का प्रधान था।

मुहत्सिब - प्रजा के नैतिक चरित्र की देखभाल करने के लिए नियुक्त अधिकारी।

दरोगा-ए डाक चौकी - राजकीय डाक तथा गुप्तचर विभाग का प्रधान था।

मीर-बहर - नौसेना का प्रधान था।

मीर अदल - यह न्याय विभाग का महत्वपूर्ण अधिकारी था।

हरकारा - ये जासूस एवं संदेशवाहक दोनों होते थे।

प्रांतीय प्रशासन

मुगल साम्राज्य को सूबों (प्रान्तों) में सूबों को सरकारों (जिलों) में, सरकारों को परगनों (महलों) में तथा परगनों को गावों में बाटा गया था।

अकबर के समय सूबेदार होता था, जिसे सिपहसालार या नाजिम भी कहा जाता था।

दीवान सूबे प्रधान वित्त एवं राजस्व अधिकारी होता था।

बख्शी का मुख्य कार्य सूबे की सेना की देखभाल करना था।

प्रांतीय रुद्र न्याय के साथ-साथ प्रजा की नैतिक चरित्र एवं इस्लाम धर्म के कानूनों की पालन की व्यवस्था करता था।

कोतवाल सूबे की राजधानी तथा बड़े-बड़े नगरों में कानून एवं व्यवस्था की देखभाल करता था।

सरकार या जिले का प्रशासन

मुगल साम्राज्य में अथवा जिलों में फौजदार, कोतवाल, आमिल, और काजी प्रमुख अधिकारी थे।

मुगल काल में सरकार या जिले का प्रधान फौजदार था। इसका मुख्य कार्य जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना तथा प्रजा को सुरक्षा प्रदान करना था।

खजानदार जिले का मुख्य खजांची होता था। इसका मुख्य कार्य राजकीय खजाने को सुरक्षा प्रदान करना था।

आमलगुजार या आमिल जिले का वित्त एवं राजस्व का प्रधान अधिकारी था।

काजी-ए-सरकार न्याय से संबंधित कार्य देखता था।

परगने का प्रशासन

सरकार परगनों में बंटी होती थी। परगने के प्रमुख अधिकारियों में शिकदार, आमिल, फोतदार, कानूनगो और कारकून शामिल थे।

शिकदार परगने का प्रधान अधिकारी था। परगने की शांति व्यवस्था और राजस्व वसूलना इसके प्रमुख कार्यों में शामिल था।

आमिल परगने का प्रधान अधिकारी था। किसानों से लगान वसूलना इसका प्रमुख कार्य था। फोतदार परगने का खंजाची था।

कानूनगो परगने के पटवारियों का प्रधान था। यह लगान, भूमि और कृषि से संबंधित कागजातों को संभालता था। कारकून लिपिक का कार्य देखता था।

ग्रामप्रशासन

मुगल काल में ग्राम प्रशासन एक स्वायत्त संस्था से संचालित होता था। प्रशासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्षतः मुगल अधिकारियों के अधीन नहीं था।

ग्राम प्रधान गांव का प्रमुख अधिकारी था, जिसे 'खुत' और 'मुकद्दमा चौधरी' कहा जाता था। गांव में वित्त राजस्व और लगान से संबंधित अधिकारियों को पटवारी कहा जाता था। इन्हें राजस्व का एक प्रतिशत दस्तूरी के रूप में दिया जाता था।

निष्कर्ष

भारत में मुगल राजवंश महानतम शासकों में से एक था जिनका सैन्य प्रशासन बहुत ही मजबूत एवं सुदृढ़ था। मुगल शासकों ने हज़ारों लाखों लोगों पर शासन किया। भारत एक नियम के तहत एकत्र हो गया और यहां विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक और राजनैतिक समय अवधि मुगल शासन के दौरान देखी गई। पूरे भारत में अनेक मुस्लिम और हिन्दु राजवंश टूटे, और उसके बाद मुगल राजवंश के संस्थापक यहां आए। कुछ ऐसे लोग हुए हैं जैसे कि बाबर, जो महान एशियाई विजेता तैमूर लंग का पोता था और गंगा नदी की घाटी के उत्तरी क्षेत्र से आए विजेता चंगेज़खान, जिसने खैबर पर कब्जा करने का निर्णय लिया और अंततः पूरे भारत पर कब्जा कर लिया।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- [1]. डॉ हरिशंकर श्रीवास्तव –“ मुगल शासन प्रणाली”
- [2]. सतीश चन्द्र-“ मध्यकालीन भारत”
- [3]. पीयूष चौहान-“ मध्यकालीन भारत राजनीतिक , सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास”
- [4]. जान रिचर्ड्स-“ द मुगल एम्पायर”
- [5]. <http://bharatdiscovery.org/india>
- [6]. <http://www.vivacepanorama.com/mughal-administration-art-and-culture/>
- [7]. http://www.hindipath.in/2015/08/blog-post_1.html